भारत के राजपत्र, भाग– II
खण्ड–3(iii) में तत्काल प्रकाशनार्थ ।
राज्य सरकार के राजपत्र में
तत्काल पुनः प्रकाशनार्थ ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

तारीख- 3 अक्तूबर, 2017

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर//खण्ड-II/2017:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः आयोग ने पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जिनमें वर्तमान में उप-निर्वाचन चल रहे हैं, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा उक्त प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा पंजाब में 1-गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 41-वेंगरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें 15.09.2017 को उक्त निर्वाचन-क्षेत्रों से अधिसूचित किए गए संबंधित पंजाब के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एंव केरल के राज्य विधान सभा के

चालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए है, इलेक्टॉनिक मतदान मशीनों तथा पेपर ट्रेल के लिए प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगें।

5. आयोग एतदद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर, जिसे उक्त वोटिंग मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है जिनका उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

आदेश से,

(एन.टी. भूटिया)
सचिव